राज्य नि.अ.नि. 145/2017 अन्तर्गत 212 RTAct

दि० 14-11-17 वकील उभय पक्षकारान उप खण्ड अ०नि० सिरोही अवकाश पर है अतः पत्रावली ईलतवा होकर अग्रिम आदेशानुसार दिनांक 4-1-2018 को पेश हो।

दि० 4-1-2018

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब राजकार्य से भ्रमण में है। पत्रावली ईलतवा होकर दिनांक 28-3-2018 को पेश हो।

दि० 28-3-18

पक्षकारान अधिवक्ता उपस्थित। आज साहब बार एसो. सिरोही द्वारा राज. बार एसो. के मेम्बर्स का मतदान होने से न्यायिक कार्य बंद रहा है। पत्रावली ईलतवा होकर दिनांक 11-5-2018 को पेश हो।

दि० 11-5-2018

पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्षकार उप०नि० अ०नि० साहब राजकीय ग्राम भूतगांव में पधारे हैं। अतः पत्रावली राज०लो०अ०अ० हाल्दीवास में दि 4-6-18 को पेश हो।

दि० 4-6-2018

आज यह पत्रावली राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्यार्थीन राजस्व प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण कर पक्षकारान को राहत प्रदान करने की दृष्टि से व्यय अवधि दिनांक 2018 के तहत राज०लो०अ०अ० हाल्दीवास में पेश हुई। पार्टी के वकील प्रार्थी तथा अभार्थीगण व वकील अभार्थीगण सूचना के बावजूद कोई सुनवाई हेतु नहीं आए। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभार्थी सं. 10 स्टेट की ओर से वहीदिया पीसरूपी ने बहस करते हुये कथन किया कि पत्रावली के संलग्न ग्राम खस्ता कृषि भूमि पर जमाबंदी संवत 2071-2074 तथा खाता नं. 264 के खा०नं. 226, 227, 228, 234, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244 कुल किता-11 कायम रकबा 10.7000 हेक्टेयर आराजी प्रार्थी तथा अभार्थी सं. 1 से 9 तक के संयुक्त खातेदारी में कब्जा काश्त की

Continue Page

उपखण्ड अधिकारी
सिरोही

अपील सं. 145/2017 अन्तर्गत 212 RTAct/
मफतलाल बनाम हीरू

अविभक्त खराजी व उक्त खाराजी में प्रार्थी का मफतलाल पुत्र केशरीराम 1/3 हक, हिस्सा दर्ज है। अतः उपरोक्त साधारण प्रार्थी का यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत 212 RT Act का विरुद्ध अस्वीकार्य सं. 1 से 9 तक का आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थी सं. 1 से 9 तक को इस अस्थाई निषेधाज्ञा के जरिये तौफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि मौजा झालीवाड़ा पटवारहल्का झालीवाड़ा तह० सिरोही में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि ख० नं. 226, 227, 228, 234, 236, 238, 240, 241, 242, 243, 244, कुल रकबा 10.7000 हैक्टेयर में प्रार्थी मफतलाल पुत्र केशरीराम के 1/3 हक हिस्से में किसी प्रकार की दखलन्दाजी व काश्त करने में बाधा न हो स्वयं करें और न ही अन्य के मार्फत करावें। निर्णय ख० लेख० अ० कोर्ट की झालीवाड़ा में मजमे आम में सुनाया। फैसला शुमार होकर रोबरू से खत्म हो।

9/10/18
उपखण्ड अधिकारी
सिरोही